

खास खबर

सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में मतदान दलों का किया गया द्वितीय एण्डमाइजेशन

दंतेवाड़। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 10 बस्तर हेतु नियुक्त सामान्य प्रेक्षक डॉ. जे. गोशेन एवं पुलिस ऑफिवर रामकिशूम (आई.पी.एस. 2010) की उपस्थिति में कलेक्टर के डंकनी सभाकक्ष में मतदान दलों का द्वितीय रेंडमाइजेशन किया गया। साथ ही सामान्य प्रेक्षक द्वारा रेंडमाइजेशन के पश्चात् डाइट परिसर में स्थित स्ट्रॉग रूम का अवलोकन करते हुए मतदान संबंधित मूलभूत व्यवस्थाओं की जानकारी ली गयी। इसके पूर्व सामान्य प्रेक्षक द्वारा स्थीतिक निगरानी दल, एम्पस्टी, व्यापार लेखा दल मंडिया प्रमाणन एवं अनुवाक्षण समिति, आवाकारी दल, पुलिस प्रशासन सहित सभी निवाचन दायित्वों से जुड़े नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर उनके कार्यों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर मंडक चतुर्वेदी द्वारा निर्वाचन संबंधी मूलभूत जानकारी जैसे मतदान केन्द्रों की संख्या, विस्थापित हुए मतदान केंद्र, संवेदनशील मतदान तथा उनकार्यों की संख्या, सामान्य बृथ, युवा मतदान केंद्र, पिंक बृथ, पीडब्ल्यू बृथ, बाहर से आने वाले सुरक्षा बलों के ठहरने के व्यवस्थाओं सहित अन्य जानकारी से सामान्य प्रेक्षक को अवगत कराया गया। इसके साथ ही सामान्य प्रेक्षक दलों की उपराक्षणा और सुरक्षा बलों की जारी कार्यविधियों की भी जानकारी ली गयी। बैठक में इसके साथ ही पीपीटी के माध्यम से जिले उपलब्ध बैलेट यूनिट, कंट्रोल यनिट एवं बीवीपैट की संख्यात्मक जानकारी भी दी गयी। इस दौरान पुलिस ऑफिवर, रामकिशूम, सीडीओ जिला पर्चायत कमार विश्व रंगन, संयुक्त कलेक्टर हिमांचल साहू, सहित निर्वाचन दायित्व से जुड़े अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

तीरंदाजी खेल के लिए टैलेंट सर्च एवं विविध प्रारंभ

राजनांदगांव। तीरंदाजी की प्रतिभावान खिलाड़ियों की तलाश करने विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। यह शिविर 7 अप्रैल तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्ट्रेडिंगम राजनांदगांव में शाम 4 से 6 बजे तक चलेगा। शिविर में 10 वर्ष से लेकर 17 वर्ष की बालक एवं बालिका खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्नें विशेष प्रशिक्षण को द्वारा दीर्घी दी जा रही है। सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकारी रोमा श्रीवास्तव ने बताया कि छत्तीसगढ़ संस्कृता सं.का.आ. 463(3) तारीख 26 पर्वती 2013, के तहत संशोधन की गई है। तस्वीर एवं बुवक कल्याण राजनांदगांव, स्वामींय अधिलेख अग्रही वेलफेयर फाउंडेशन एवं संस्कारधानी तीरंदाजी संघ राजनांदगांव के सहयोग से नए तीरंदाजी खिलाड़ियों की खोज के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सीनियर कोच राहुल साहू ने बताया गया कि शिविर में किसी भी स्कूल के बालों एवं बालिका खिलाड़ियों के पुरस्कृत किया जाएगा। इस कैप में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के पुरस्कृत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जिला खेल के तीरंदाजी संघ राजनांदगांव से उस्तुरी तीरंदाजी संघांव के सहयोग से विंगत कई वर्षों से इस तरह के कैंप लगातार लगाया जा रहा है। उसी का परिणाम है कि संस्कारधानी तीरंदाजी संघ राजनांदगांव से तीरंदाजी खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर स्कूल गेम्स, सीनीयर्सइ गेम्स, केन्द्रीय विद्यालय गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, अंपान गेम्स में जोन, स्टेट एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों को एनआईएस कोच राहुल साहू एवं कुशल रजक द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।

मतदान के पहले करना होगा राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणीकरण

श्रीकंचनपथ न्यूज़

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत देश में हो रहे सारों चरणों के मतदान दिवस और उसके एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए यह अनिवार्य होगा। आयोग के निर्देशनुसार प्रथम चरण में 18 और 19 अप्रैल, दूसरे चरण में 25 और 26 अप्रैल तक लोकसभा निर्वाचन के प्रत्येक चरण में 6 और 7 मई



2024 अंतर्गत तीनों चरणों के मतदान दिवस और उसके एक दिन तक लोकसभा निर्वाचन के प्रत्येक चरण में 6 और 7 मई

को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन दिवस के प्रत्येक चरण में 18 और 19 अप्रैल, दूसरे चरण में 25 और 26 अप्रैल तक लोकसभा निर्वाचन के प्रत्येक चरण में 6 और 7 मई

को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन दिवस के प्रत्येक चरण में 18 और 19 अप्रैल, दूसरे चरण में 25 और 26 अप्रैल तक लोकसभा निर्वाचन के प्रत्येक चरण में 6 और 7 मई

को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन दिवस के प्रत्येक चरण में 18 और 19 अप्रैल, दूसरे चरण में 25 और 26 अप्रैल तक लोकसभा निर्वाचन के प्रत्येक चरण में 6 और 7 मई

को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन दिवस के प्रत्येक चरण में 18 और 19 अप्रैल, दूसरे चरण में 25 और 26 अप्रैल तक लोकसभा निर्वाचन के प्रत्येक चरण में 6 और 7 मई

को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन दिवस के प्रत्येक चरण में 18 और 19 अप्रैल, दूसरे चरण में 25 और 26 अप्रैल तक लोकसभा निर्वाचन के प्रत्येक चरण में 6 और 7 मई

को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन दिवस के प्रत्येक चरण में 18 और 19 अप्रैल, दूसरे चरण में 25 और 26 अप्रैल तक लोकसभा निर्वाचन के प्रत्येक चरण में 6 और 7 मई

को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन दिवस के प्रत्येक चरण में 18 और 19 अप्रैल, दूसरे चरण में 25 और 26 अप्रैल तक लोकसभा निर्वाचन के प्रत्येक चरण में 6 और 7 मई

को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन दिवस के प्रत्येक चरण में 18 और 19 अप्रैल, दूसरे चरण में 25 और 26 अप्रैल तक लोकसभा निर्वाचन के प्रत्येक चरण में 6 और 7 मई

को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन दिवस के प्रत्येक चरण में 18 और 19 अप्रैल, दूसरे चरण में 25 और 26 अप्रैल तक लोकसभा निर्वाचन के प्रत्येक चरण में 6 और 7 मई

को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन दिवस के प्रत्येक चरण में 18 और 19 अप्रैल, दूसरे चरण में 25 और 26 अप्रैल तक लोकसभा निर्वाचन के प्रत्येक चरण में 6 और 7 मई

को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन दिवस के प्रत्येक चरण में 18 और 19 अप्रैल, दूसरे चरण में 25 और 26 अप्रैल तक लोकसभा निर्वाचन के प्रत्येक चरण में 6 और 7 मई

को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन दिवस के प्रत्येक चरण में 18 और 19 अप्रैल, दूसरे चरण में 25 और 26 अप्रैल तक लोकसभा निर्वाचन के प्रत्येक चरण में 6 और 7 मई

को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन दिवस के प्रत्येक चरण में 18 और 19 अप्रैल, दूसरे चरण में 25 और 26 अप्रैल

